

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 299]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 16 जून 2011—ज्येष्ठ 26, शक 1933

पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 जून 2011

क्र. एफ-11-2-2008-चौवन-2.—हज समिति अधिनियम, 2002 (2002 क्र. 35) की धारा 17 (1) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए धारा 18 (1) में निहित प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार मध्यप्रदेश हज कमेटी का गठन करती है एवं निम्नांकित व्यक्तियों को सदस्य के रूप में नियुक्त करती है:—

1.	श्री नूरुद्दीन बौहरा आत्मज श्री फिदा अकबर, रतलाम	सदस्य
2.	श्री हाजी मोहम्मद मियां, सिरोंज	सदस्य
3.	श्रीमती शबनम बानो, छिन्दवाड़ा	सदस्य
4.	श्रीमती अन्जुम अकरम खान, खण्डवा	सदस्य
5.	श्री हाजी मुश्ताक नदवी, भोपाल	सदस्य
6.	श्री सनवर पटेल, उज्जैन	सदस्य
7.	श्री एम. के. नवी, भोपाल	सदस्य
8.	श्री अशफाक मुरशीदी, भोपाल	सदस्य
9.	श्री शकील खान, धार	सदस्य
10.	श्री आगा अब्दुल कय्यूम, भोपाल	सदस्य
11.	श्री सिद्दीकी कासमी, भोपाल	सदस्य
12.	श्री शेख रफीक, शाजापुर	सदस्य

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. खैरवार, उपसचिव.